शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
Right To Education - 2009

प्रस्तावना (Introduction):- भारत एक जनतांत्रिक राष्ट्र है। जनतन्त्र में सरकार की बागडोर जनता के हाथ में होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ एक ओर अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर ~~अपने अधिकारों तथा~~ उसे पक्षपात तथा अज्ञान के अन्धकार से भी दूर रखना परम आवश्यक है। जनतन्त्र में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था रहती है, जिससे की वे अपने देश की उचित सरकार का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सके।

जनतन्त्र सार्वभौमिक तथा अनिवार्य एवं समान अवसरों को प्रदान करने में विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा में कभी भेद अर्थात् निर्धन एवं धनवान के अन्तर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए अब शिक्षा सार्वभौमिक तथा अनिवार्य ही नहीं, अपितु निःशुल्क भी होती जा रही है। अतः जनतन्त्र में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है इसलिए सभी जनतान्त्रिक देश जैसे - अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, टर्की, जापान एवं रूस आदि ने अपने देश के नौनिहालों के लिए एक निश्चित स्तर की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी है। साथ ही सभी को शिक्षा के समान अवसर भी प्रदान किये जा रहे हैं।

भारतीय संविधान में शिक्षा सम्बन्धी उपबन्ध:- भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य इस संविधान के प्रारम्भ होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर देश के सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।"

86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को मूल अधिकारों की सीमा में लाया गया और संविधान के अनुच्छेद 21(ए) के द्वारा यह मूल अधिकार दिया गया। 21(ए) 86 वें संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़े गए इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, जिसे उपलब्ध कराने का दायित्व 'राज्य' का है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य उक्त मौलिक अधिकार की प्राप्ति करने हेतु यथोचित कानून बनाएगा।

शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम, 2009:- शिक्षा के उक्त मौलिक अधिकार को प्रगतिशील बनाने के लिए भारतीय संसद में 4 अगस्त, 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरान्त 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है।

इस प्रकार भारत विश्व का 135 वाँ देश हो गया जहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में सात अध्याय तथा 38 खण्ड है।

Scanned with CamScanner

शिक्षा का मौलिक अधिकार, 2010 -: 2 अप्रैल, 2010 में सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वैधता की घोषणा की गई तथा यह मानव अधिकार (Human Rights) का आठवाँ मौलिक अधिकार (8th Fundamental Right) के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा कार्यकारी रूप में सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित कर दिया गया।

नोट-: भारतीय संविधान ने राष्ट्र के नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदत्त किए हैं-

1. समानता का अधिकार (Right to Equality)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
3. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
4. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights)
5. उत्पीड़न विरोध का अधिकार (Right against Exploitation)
6. धन सम्पदा का अधिकार (Right to Property)
7. संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

शिक्षा के इस मौलिक अधिकार के सफलतापूर्वक लागू होने के फलस्वरूप वे सभी बालक जो अभी भी शिक्षा से वंचित है, लाभान्वित हो सकेंगे। सभी बच्चे जाति, धर्म, यौन-भेद तथा सामाजिक पिछड़ेपन के भेदभाव के बिना एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे तथा अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होगा। अनिवार्य शिक्षा के फलस्वरूप आने वाले खर्च का वहन राज्य एवं केन्द्रीय सरकारें क्रमशः 35:65 के रूप में करेंगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 महत्वपूर्ण क्यों?

यह अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक संशोधन लागू करने की दिशा में, सरकार की सक्रिय भूमिका का यह प्रथम सोपान है। साथ ही यह विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि -

- इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का कानूनी प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक क्षेत्र में एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय संचालित करने का प्रावधान रखा गया है।
- सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे।
- गैर-सरकारी विद्यालय तथा निजी विद्यालय अपने विद्यालय के कुल छात्र नामांकन क्षमता का 25% बच्चे जोकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े है, को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।
- 25% चयनित आरक्षित वर्ग के बच्चों के सन्दर्भ में स्कूलों द्वारा किए गए खर्च की भरपाई सरकार करेगी।
- प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय का प्रबन्धन स्कूल समितियों (School Management Committee) द्वारा किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमता से किया जायेगा। यह समिति विद्यालय की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी।
- 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी बालक को नौकरी पर नहीं रखने का प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner

- निजी अथवा गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु छँटनी प्रक्रिया के लिए बच्चे अथवा उनके अभिभावकों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

उपर्युक्त सभी प्रावधान एक सामान्य विद्यालय प्रणाली के विकास की नींव रखने की दिशा में प्रगतिशील कदम है। साथ ही विधेयक में बच्चों को शारीरिक दण्ड देने, बच्चों के निष्कासन या रोकने पर पाबन्दी लगाई गई है। शिक्षकों की जनगणना, चुनाव ड्यूटी तथा आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त गैर-शिक्षण कार्य में तैनात करने पर रोक लगाई गई है। बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालयों के संचालन पर रोक लगाई गई है तथा ऐसे विद्यालयों के संचालन पर दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 की प्रमुख विशेषताएँ -:

6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है -

- भारत के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति से पूर्व किसी भी बच्चे को न तो रोका जाएगा, न ही फेल किया जाएगा, न ही विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा, तथा सार्वजनिक अथवा बोर्ड परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी।
- ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है तथा किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है अथवा है भी तो वह अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया है, तब भी उसे उसकी आयु अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बशर्ते कि सामान्य प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्षतः प्रवेश लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसा कि प्रस्तावित होगा।
- प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बालक-बालिका को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने के निमित्त निःशुल्क शिक्षा प्रदत्त की जाती रहेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- विद्यालय का बुनियादी ढांचा (Infrastructure) जहाँ यह एक समस्या है, 3 वर्षों के भीतर सुधारी जाएगी, अन्यथा उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक तथा मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत शिक्षकों के दायित्व -:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम खण्ड 24-1 के अनुसार, शिक्षकों के निम्नवत् दायित्व होंगे -

- नियमित समय में विद्यालय में उपस्थित होना।
- पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना।
- निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना।

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना।
- नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीखने, सीखने की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा करना एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना।
- उपर्युक्त वर्णित कार्यों को करने में यदि शिक्षक कोई चूक करता है अथवा उन्हें पूरा नहीं करता है, तो उस पर लागू होने वाले सेवा नियम के तहत उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी कि इस तरह की कार्यवाही करने से पहले शिक्षक पक्ष को सुने जाने का न्याय संगत अवसर प्रदान किया जाएगा।
- निर्धारित तरीके के अनुसार शिक्षक की शिकायत का समाधान किया जाएगा।
- शिक्षक - छात्र के अनुपात को बनाए रखने के लिए विद्यालय में नियुक्त किसी शिक्षक से किसी अन्य विद्यालय कार्यालय में कार्य नहीं लिया जाएगा, न ही शिक्षण से असम्बन्धित कार्य को करवाया जाएगा।
- दस वर्षीय जनगणना, आपदा एवं निर्वाचन - स्थानीय, राज्य विधान सभा या लोक सभा के कार्यों के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक को गैर-शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
- कोई भी शिक्षक निजी स्तर पर ट्यूशन अथवा शिक्षण कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

अभिभावकों के दायित्व :- प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएगा।

शिक्षा के अधिकार के तहत केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के दायित्व :-

(क) केन्द्र सरकार के दायित्व

- केन्द्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों (कैपिटल एवं रिकरिंग) का एस्टीमेट तैयार करेगी।
- केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेम वर्क तैयार करेगी।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदण्ड लागू करेगी।
- नवाचार (Innovations) अनुसंधान, नियोजन एवं क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराएगी।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के भीतर पड़ोस का विद्यालय स्थापित करना होगा, जिस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है।

(ख) राज्य एवं स्थानीय सरकारों के दायित्व :-

- राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के अन्दर जिन क्षेत्रों में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, विद्यालय स्थापित करना।
- पड़ोस के विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा का पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी।

Scanned with CamScanner

- यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर एवं वंचित वर्गों के साथ कोई भेदभाव न हो।
- विद्यालय भवन, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेंगे
- सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।
- सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार (परिषद) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्धारण करेगा एवं बच्चों के बहुमुखी विकास, उसके ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के उन्नयन पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देने के साथ-2 उसे भय, कष्ट एवं चिंता से मुक्त करने का भी कार्य करेगी।
- बाल मित्र परिवेश में बाल केन्द्रित तरीके से गतिविधि आधारित सीखना-सिखाना, खोजने एवं जिज्ञासा को बढ़ावा देने, किसी बच्चे का प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति (School Management Committee-SMC) का गठन एवं उसके दायित्व -:

अनुदान न पाने वाले निजी विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय (सरकारी तथा अनुदान प्राप्त) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावक एवं शिक्षक होंगे। कुल सदस्यों में तीन-चौथाई (3/4) सदस्य अभिभावकों में से होंगे। वंचित एवं कमजोर वर्ग से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तथा आधी महिलाएँ होना अनिवार्य है (खण्ड 21-1)। इस विद्यालय प्रबन्ध समिति के निम्न कार्य होंगे।

- विद्यालय के कार्यों का अनुश्रवण करना।
- विद्यालय विकास की योजना बनाना एवं उसकी संस्तुति करना।
- स्थानीय सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना।
- अन्य सुझाए गए कार्यों को करना।

विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बनाई गई विद्यालय विकास की योजना राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान देने का आधार बनेगी।

Scanned with CamScanner